

मूल वाद में फाइनल डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा (राज.)

- बनाम**
1. गिरराज पुत्र रतना उर्फ रतनलाल जाति माली
 2. चन्द्रकान्ता उर्फ चन्द्रकला पत्नी श्री सत्यनारायण पुत्री रतना उर्फ रतनलाल जाति माली निवासीगण लुहारियों का मोहल्ला बडगांव कोटा
 3. धनकंवर पत्नी श्री महावीर पुत्री रतना उर्फ रतनलाल जाति माली निवासी 47, गली नं 3 जैन मंदिर सरस्वती कॉलोनी कोटा
- वादीगण

1. मदनगोपाल पुत्र रतना उर्फ रतनलाल जाति माली
 2. कन्हैयालाल पुत्र रतना उर्फ रतनलाल जाति माली
 3. हीरालाल पुत्र रतना उर्फ रतनलाल जाति माली निवासीगण ग्राम झालीपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा, कोटा
- प्रतिवादीगण

—:: वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955::—

मुकद्मा नं. 45 / 2025 (दावा)

वाद में आज तारीख को डिक्रीदार के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार ग्राम झालीपुरा पटवार हल्का दसलाना तहसील लाडपुरा में स्थित आराजी ख० नं० 14 रकबा 0.25 है०, ख० नं० 19 रकबा 0.25 है०, ख० नं० 20 रकबा 0.35 है०, ख० नं० 21 रकबा 0.35 है०, ख० नं० 28 रकबा 0.02 है०, ख० नं० 30 रकबा 0.16 है०, ख० नं० 38 रकबा 0.08 है०, ख० नं० 8 रकबा 0.28 है०, कुल 8 किता की 1.74 है० भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार फाईनल अर्थात् अन्तिम डिक्री जारी की जाकर भूमि विभाजित की जाती है—

नाम खातेदार	ख० नं०	रकबा	दिशा
मदनगोपाल पुत्र रतना जाति माली सा० देह	21	0.172 है०	दक्षिण दक्षिण
	20	0.173 है०	
	किता 2	0.345 है०	
चन्द्रकान्ता उर्फ चन्द्रकला पुत्री रतना जाति माली सा० देह	14	0.17 है०	उत्तर उत्तर
	19	0.175 है०	
	किता 2	0.345 है०	
हीरालाल पुत्र रतना जाति माली सा० देह	28	0.02 है०	दक्षिण मध्य मध्य
	30	0.07 है०	
	21	0.123 है०	
	20	0.132 है०	
	किता 4	0.345 है०	
कन्हैयालाल पुत्र रतना जाति माली सा० देह	30	0.09 है०	उत्तर उत्तर उत्तर दक्षिण दक्षिण
	21	0.055 है०	
	20	0.045 है०	
	14	0.08 है०	
	19	0.075 है०	
	किता 5	0.345 है०	
गिरराज पुत्र रतना जाति माली सा० देह	8	0.28 है०	
	38	0.0383 है०	
	किता 2	0.3183 है०	
धनकंवर पुत्री रतना जाति माली सा० देह	38	0.0417 है०	दक्षिण पूर्व

वाद के खर्चे लेखे ... X ...रुपये की राशि, आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस
... X ...प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित ... X ...द्वारा ... X ...को दी जाए।
यह डिक्री आज तारीख 28 माह 04 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा
लगाकर जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटा
गोदा

वादी	वाद के खर्चे	प्रतिवादी	रुपये
1. वादपत्र के लिये स्टाम्प	रुपये	शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प	रुपये
2. शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प		अर्जी के लिये स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिये स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.....रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटा
गोदा